पत्र संख्याः 1/वि0 – 1012/2022–सा0प्र0– 9241 /

बिहार सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेषक,

कन्हैया लाल साह,
सरकार के अवर सचिव।

सेवा में,

सभी प्रमण्डलीय आयुक्त ।

पटना–15, दिनांक 8 जून, 2022

विषयः— जिला पदाधिकारियों द्वारा किए जाने वाले पत्र–व्यवहार में संबंधित जिला पदाधिकारी के नाम तथा राज्य से बाहर की यात्रा के आवेदनों में गंतव्य स्थल का स्पष्ट उल्लेखन किए जाने के संबंध में।

प्रसंगः— सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना का पत्रांक–7674 दिनांक 20.05.2022

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार कहना है कि कतिपय जिला पदाधिकारियों के स्तर से सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना का पत्रांक–7674 दिनांक 20.05.2022 (छाया प्रति संलग्न) द्वारा निर्गत विषयगत निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया जा रहा है।

2. अतः अनुरोध है कि अनुबद्ध विभागीय निर्देशों का अवश्यमेव अनुपालन करने हेतु सभी अधीनस्थ जिला पदाधिकारियों को अपने स्तर से भी निदेशित करने की कृपा की जाए।

अनुलग्नक यथोक्त

विश्वासभाजन
ह०/
8.6.22
सरकार के अवर सचिव।

177/Desktop/KK2022/Hindi letter

ई–मेल/स्पीड पोस्ट

पत्र संख्याः 1/वि0–1012/2022–सा0 प्र0–7674/

बिहार सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेषक,

डॉ0 बी. राजेन्दर,भा0प्र0से0,
सरकार के प्रधान सचिव ।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी ।

पटना–15, दिनांकः 20 मई, 2022

विषय :– जिला पदाधिकारियों द्वारा किए जाने वाले पत्र–व्यवहार में संबंधित जिला पदाधिकारी के नाम तथा राज्य से बाहर की यात्रा के आवेदनों में गंतव्य स्थल का स्पष्ट उल्लेख किए जाने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार कहना है कि जिला पदाधिकारियों से प्राप्त होने वाले अधिकांश पत्रों में संबंधित जिला पदाधिकारी के नाम का उल्लेख नहीं रहता है, जो स्थापित प्रशासनिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है। नामरहित ऐसे पत्रों को पदाधिकारीवार चिह्नित/पृथक करने में अत्यन्त असुविधा भी होती है ।

2. प्रायः यह भी देखा जाता है कि जिला पदाधिकारियों द्वारा मुख्यालय/राज्य से बाहर की यात्रा की अनुमति हेतु समर्पित किए जाने वाले आवेदनों–पत्रों में गंतव्य स्थल का नाम अंकित नहीं रहता है। जबकि, ऐसे आवेदनों–पत्रों में गंतव्य स्थल का नाम अंकित रहना चाहिए।

3. अतएव, जिला पदाधिकारी द्वारा प्रेषित होने वाले पत्रों में संबधित जिला पदाधिकारी के नाम तथा उनके स्तर से मुख्यालय/राज्य से बाहर की यात्रा की अनुमति हेतु समर्पित किए जाने वाले आवेदनों में गंतव्य स्थल का स्पष्ट उल्लेख किया जाय ।

4. उपर्युक्त निदेश का अनुपालन दृढ़ता से सुनिश्चित किया जाय ।

विश्वासभाजन,
BRajender
20.5.2022
सरकार के प्रधान सचिव।

405 | D:\Arvind Joe\Letter